उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-169/2017/1407/92-2-17-140(जांच)/2015,
लखनऊ:: दिनांक 19 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा द्वारा लोहिया समग्र ग्राम में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण हेतु आमंत्रित की गयी निविदाओं में की गयी अनियमितताओं के संबंध में जांच अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्यानुसार वर्ष 2015-16 में चयनित 28 लोहिया ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी थी, जिसकी बिक्री दिनांक 30.07.2015 से 04.08.2015 तक की जानी थी। उक्त तिथियों में कुल 149 निविदायें विक्रय की गयी तथा निर्धारित तिथि 19.08.2015 को अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) बांदा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समस्त निविदादाताओं के समक्ष तकनीकी बिड एवं दिनांक 26.08.2015 को वित्तीय निविदाएं खोली गयीं। बिना किसी समुचित एवं अपरिहार्य कारण के ही दिनांक 26.08.2015 को उक्त निविदाओं को निरस्त करते हुए पुन उसी तिथि में निविदाएं आमंत्रित किये जाने आदि के लिए उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-798/92-2-2017-140(जांच)/2015, दिनांक 29-06-2017 द्वारा श्री आर0के0 वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा (सम्प्रति प्रखण्ड-फैजाबाद) के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया, जो उनके पत्र संख्या-688/अ0अ0/ ग्रा0अ0वि0/व्य0प0/17-18, दिनांक 28.07.2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- श्री आर0के0 वर्मा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत निर्गत स्पष्टीकरण नोटिस तथा उस पर श्री वर्मा द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तर/जवाब एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री आर0के0 वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा (सम्प्रति प्रखण्ड-फैजाबाद) के विरूद्ध शासन के पत्र संख्या-798/92-2-2017-140(जांच)/2015, दिनांक 29-06-2017 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-169/2017/1407(1)/92-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-119/ग्रा0अ0वि0/डा0लो0सेल/मा0 मुख्य मंत्री सन्दर्भ/बांदा-69/2015-16, दिनांक 22-05-2017 के क्रम में ।

2- श्री आर0के0 वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा (सम्प्रति प्रखण्ड-देवरिया) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanad h.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।